

प्रेषक,

राधिका झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उरेडा,  
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक, 29 मई, 2018

**विषय:- ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु प्राप्त धनराशि के पी0एल0ए0 खातों को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तक विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य परियोजना अधिकारी के पत्र संख्या-187 दिनांक 24.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु प्राप्त धनराशि के लिए खुले पी0एल0ए0 खाता को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के पत्र सं0 121/XXVII(14)/2013 दिनांक 12.07.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण निधि की धनराशि का राज्य हित में उपयोग किये जाने हेतु निदेशक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता सं0 8443 सिविल डिपोजिट जमा-800 अन्य जमा के अन्तर्गत को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(राधिका झा)  
सचिव।

संख्या: 58 2-1/2018-05/17/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी।
- 6- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)  
अपर सचिव।